

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1794/2026

Balbir S/o Rampat, Aged About 43 Years, Ward No 3 Jokhasar,
Tehsil Nohar, District Hanumangarh.

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री निशांत मोतसरा
For Respondent(s)	:	श्री ऊर्जाराम कलवी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना— खुईयां, जिला— हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 05/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 132, 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 132, 352, 351(2) व 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण की अग्रिम जमानत संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उनसे भिन्नता नहीं रखता है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने हेतु तत्पर है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा लोक सेवक के साथ कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न की गयी है और इस संदर्भ में मौके पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा राजकीय कार्य में हस्तक्षेप करने के तथ्य सामने आये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने अनुसंधान में सहयोग नहीं किया है और लंबे समय से रुहपोश चल रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट व अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण की अग्रिम जमानत संबंधित विचारण न्यायालय/सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त से अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में किसी अपराध में संबद्ध नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्याय संगत प्रकट होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बलवीर पुत्र रामपत** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, **पुलिस थाना— खुईयां, जिला— हनुमानगढ़** को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की सूरत में यदि प्रार्थी/अभियुक्त उनके संतोषप्रद पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर आजाद कर दिया जावे:—

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।

2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष: अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

119-Dhanraj Jajoria /-